न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

———

प्रकरण कमांक निग0 812–तीन/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.2.2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 53/97–98/अपील.

———

उर्मिला देवी पत्नि रघुनाथ सिंह
निवासी मटघाना तहसील अटेर
जिला भिण्ड ——— आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, भिण्ड

2– शीलतल सिंह पुत्र केशवसिंह
निवासी ग्राम मटघाना तह. अटेर,
जिला भिण्ड

3– रघुनाथ सिंह पुत्र हिसाबरा सिंह
निवासी ग्राम मटघाना तह. अटेर,
जिला भिण्ड ——— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवरसिंह कुशवाह ।
अनावेदक क. शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 04-06-2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 53/97–98/अपील में पारित आदेश दिनांक 23–2–2000 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ यह तर्क दिया गया कि यह प्रकरण संहिता की धारा 248 का है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह मान्य करते हुए कि संहिता की धारा 248 के प्रकरणों में सीधा संबंध अतिकामक और शासन के बीच होता है फिर भी अनावेदक कमांक 2 को पक्षकार मानकर उसकी अपील को विधिसंगत मानने में भूल की है । आवेदक सर्वे नं. 763 की भूमिस्वामी है तथा सर्वे नं. 762 शासकीय है दोनों सर्वे नंबरों के बीच कोई मेड़ नहीं है आवेदिका ने अपने स्वत्व की भूमि में नलकूप खनन किया है । विचारण न्यायालय द्वारा आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया था, जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है ।

4/ अनावेदक क. 1 शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुएनिगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 248 का है । प्रकरण में यह तथ्य आने पर कि अनावेदक कमांक 3 जो कि आवेदिका का पति है, के द्वारा अवैध रूप से नलकूप बोरिंग कराई जा रही है, उसके विरूद्ध संहिता की धारा 248 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यपालन यंत्री पी.एच. ई. भिण्ड तथा थाना फूप से पुलिस बल लेकर नलकूप व मोटर में कब्जे में लिए जाने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उल्लिखित किए गए न्यायदृष्टांत 1993 आर.एन. 346 को ध्यान में रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें हस्क्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर